भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1176

दिनांक 29 जुलाई, 2026 के लिए उत्तर

विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय पशुधन विकास ढांचा

1176. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत के बड़े पैमाने पर असंगठित पशुधन क्षेत्र को वैज्ञानिक रूप से विनियमित एवं प्रतिस्पर्धी उद्योग में रूपांतरित करने के लिए, दक्षिण कोरिया और वानुअतु सहित विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक राष्ट्रीय पशुधन विकास कानून अथवा नीतिगत रूपरेखा अधिनियमित करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) क्या प्रस्तावित रूपरेखा वैज्ञानिक पशुधन विकास को बढ़ावा देने तथा घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों, पशु चिकित्सा परिषदों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की जाएगी; और

(ग) कृषकों की आय बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लगभग 20.5 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले पशुधन क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत, पशुपालन राज्य का विषय है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पशुधन क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतिगत पहलें कार्यान्वित कर रहा है। इनमें निर्यात को बढ़ाना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण आर्थिक विकास करना शामिल है। प्रमुख पहलों में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) शामिल है। इन उपायों और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में काफी अधिक वृद्धि हुई है। देश में दूध उत्पादन में 70% की वृद्धि हुई है, जो

वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 248 मिलियन टन हो गया है। देश में अंडों का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 78.48 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 149.11 बिलियन हो गया है जो 90% अधिक है।

इसके अलावा, मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और उनके प्रमाणन का उत्तरदायित्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद् (EIC) को सौंपा गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने संयुक्त कार्य समूह (JWG) और तकनीकी कार्य समूह जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, भारतीय डेयरी उत्पादों के निर्यात और बाज़ार पहुंच से जुड़े मामलों पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत की है। पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ मिलकर भारत पशुधन डेटाबेस तैयार किया है। यह डेटाबेस 12-अंकों की एक विशिष्ट टैग ID पर आधारित है, जिसका उद्देश्य पशुधन की ट्रेसेबिलिटी को सक्षम बनाना और मूल्य संवर्धित पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत सरकार, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) जैसी योजनाओं के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण करना, उत्पादकता बढ़ाना और बाज़ार पहुंच का विस्तार करना है। इसके अलावा, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में रोग-मुक्त ज़ोन बनाना है, ताकि पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए बाज़ार में अवसर सृजित हो सकें।

*****